

राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्ग दर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।

8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें ।

धारा-20

9. संस्थाएं जिनका इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा :—
पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्थाएं, सैनिक अनाथ निधियां, साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं के उत्थान के लिये स्थापित संस्थाएं, सदस्यों के सामान्य उपयोग या जनता के पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना या निर्वहण के लिये या सार्वजनिक अजायबघरों तथा चित्रकारों एवं अन्य कलाकृतियों की दीर्घाओं की स्थापना या निर्वहण के लिये स्थापित संस्थाएँ, प्राकृतिक इतिहास के संग्रह और यान्त्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, उपकरणों या डिजाइनों के लिये स्थापित संस्थाएँ ।

मंदर टेरेसा शिक्षण संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम मंदर टेरेसा शिक्षण संस्थान
समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जयपुर
तथा कार्यक्षेत्र झावाजारा रौंभर लेक, वार्ड नं० 13/203 है। शिक्षण संस्थान
तथा इसका कार्यक्षेत्र झांभर लेक क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

1. बालक - बालिकाओं को शिक्षण संस्था के माध्यम से शिक्षित करना।
2. बालक - बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना।
3. बालक - बालिकाओं में नैतिक शिक्षा का प्रसार करना।
4. बालक - बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भावनाओं का विकास करना।
5. अनुसूचित जाति - अनुजाति के बच्चों में साक्षरता लाना।

13) उपरोक्त उद्देश्यों में वं पूर्ण में कोई लाभ निहित नहीं है।

सामुदायिक विकास

बालक

6. बच्चों को मानसिक व शारीरिक दृष्टि से समृद्ध बनाना।
7. शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में सुधार लाना।
8. बालक - व। शिक्षाओं में सामुदायिक एकात्मता की भावना का विकास करना।
9. बच्चों की सांस्कृतिक रुचियों को बढ़ाना।
10. पिछड़े हुए परिवारों के - बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
11. शिक्षण संस्थाओं को सार्वजनिक स्तर की दृष्टि से महत्व देना।
12. बच्चों में खेलकूद की प्रवृत्तियों का विकास।

सुनीता

भंडारी

सामुदायिक विकास

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :—

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री सुदेश कुमार - श्री विमल कुमार वर्मा	मिनी दवा - नकासा लॉन्ग लेड		अध्यक्ष
2.	श्री सुनिता वर्मा - श्री शंकर प्रसाद देवद	गृहणी - नकासा लॉन्ग लेड		मंत्री
3.	श्री सुकेश वर्मा - श्री विमल कुमार वर्मा	अध्यापक - " "		कोषाध्यक्ष
4.	श्री हिरीराम ऊरवाल - श्री चन्द्रराज देवद	सेवाकृत् - " "		उपाध्यक्ष
5.	श्री चंद्रमल सारन - श्री बिरहीचन्द सारन	सेवाकृत् - " "		उपमंत्री
6.	श्री किशन टाक - श्री नारायण चंद	छापाखाना - बड़ा बाजार लॉन्ग लेड		सचिव
7.	श्री विजयासिंह शेरवावत छपि - श्री विशेश सिंह	ग्राम पो. कालासर		उपसचिव
8.				
9.				
10.				
11.				

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं:—

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्री बिहारी लाल	व्यापार	छोटा बाजार लामर	बिहारी लाल
2	श्री मुकुन्द शर्मा	नौकरी	लामर सान्ट लामर	Mukund
3	श्री दिनेश वर्मा	अध्यपक	नकासा मोहम्मद लामर	Dinesh
4	श्री राजेश वर्मा	LIC आग्रेकर्ता	"	Rajesh
5	श्री भगवान लाल	नौकरी	R.S.C. & लामर	भगवान लाल
6	श्री महेश अग्रवाल	व्यापार	कोरासैना ग्राम	महेश
7	श्री नाथूलाल अग्रवाल	"	" नाथूलाल	
8	श्री सोहनप्रकाश अग्रवाल	टेलरिंग	नंबरगुडा	सोहनप्रकाश
9	श्री सतीश जावा	अध्यपक	माली मोहम्मद लामर	Satish
10	श्री नूर मोहम्मद	कुटीर उद्योग	बड़ा बाजार लामर	नूर मो०

अध्यक्ष

सुनीता
मैत्री

Mukesh Meena
अध्यक्ष

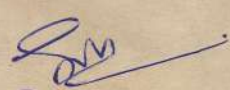
	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
	श्री मति कुसुम मयूर	गृहणी	लम्बी जली लोमर	कुसुम
12	श्री मति पूनम शर्मा	गृहणी	तेली दरवाजा लोमर	पुनम शर्मा
13	कुमारी मधुबाला	अध्ययिका	आदर्श विद्या मंदिर लोमर	M. Bala
14	श्री किशोर लाल शेरवावत	हुडि	श.पो. लाला शर किशोर	
15	श्री बेनीओपाल जोड़	व्यापार	धान मंडी लोमर	बेनी प्रसाद
16	श्री सुदेश कुमार	निजी धंधा	नकासा लोमर लेक	
17	श्रीमती विमल कुमारी वर्मा	गृहणी	नकासा लोमर लेक	सुनीता
18	श्री सुलेश वर्मा	अध्ययक	" "	Mukesh Verma
19	श्री विमल कुमार वर्मा	सेनाकिपूत	" "	Harish Ram
20	श्री हरीराम मंडवाल	सेनाकिपूत	" "	चौदमल
	श्री चानराम देवर			
	श्री चौदमल हारन			
	श्री बिंदी चंडलारन			

कुसुम
अध्ययक

7
सुनीता
मंजी

Mukesh Verma
अध्ययक
कायाचमल

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
21	श्री हि राउ टोंड	छापाई	बहालवाड़ा	श्रीकिशन
22	श्री विजय सिंह शेरवाहन	कृषि	नां भरलेक	विजय
23	श्री किरासे सिंह		गाठको लालासा	
24				
25				
26				
27				
29				
30				


 मुकुंद वरमा

सुनीता
 मंत्री

Mukesh Verma
 कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
---------	-----------------	---------	-----------	-----------

31

32

33

34

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

GPA
22-3-91

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

श्री गोविन्द प्रसाद अग्रवाल
अग्रवाल टाईपींग प्रिंसीपल
नगरपालिका के सामने साँभर-लेक
अग्रवाल मुनीरा मंजी-

अग्रवाल

शपथ आयुक्त
साँभर-लेक (जयपुर)

Akshwani

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अकील वारसी
लक्ष्मि सप्लायर्स
साँभर-लेक
Mukesh Wadia

अग्रवाल

अग्रवाल

शपथ आयुक्त
साँभर-लेक (जयपुर)

अग्रवाल

नाम संस्था मंदर टेरेसा शिक्षण संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम मंदर टेरेसा शिक्षण संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय

तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय वडा मजारा

H.N. 13/203 सांभर लेक बीच (जयपुर)
है तथा इसका कार्यक्षेत्र सांभर लेक क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

- 1— बालक बालिकाओं को शिक्षण संस्था के माध्यम से शिक्षित करना
- 2— बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना
- 3— बालक बालिकाओं में नैतिक शिक्षा का प्रसार करना
- 4— बालक बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भावनाओं का विकास करना
- 5— अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों में साक्षरता लाना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

10

अध्यक्ष

शुनीता
मंत्री

Mukesh Verma
कोषाध्यक्ष

- 6- बच्चों को मानसिक व शारीरिक दृष्टि से समझ बनाना
- 7- शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में पुनर्रचना करना
- 8- बालक बालिकाओं में साम्प्रदायिक एकता की भावना का विकास करना
- 9- बच्चों की सांस्कृतिक क्षमताओं को बढ़ाना
- 10- पिछड़े हुए परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना
- 11- शिक्षण संस्था को सार्वजनिक हित की दृष्टि से महत्व देना
- 12- बच्चों में खेल खेल की प्रवृत्तियों का विकास
- 13- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के किसी प्रकार का लाभ मिलित नहीं है।

4. सदस्यता

: निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे ।

1-संस्था के काय क्षेत्र में निवास करते हों ।

2-बालिक हो ।

3-पागल, दीवालिये न हों ।

4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों ।

5-संस्था के हित को सर्पोपरि समझते हों ।

5. सदस्यों का वर्गीकरण

: संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक

2-विशिष्ट

3-सम्माननीय

4-साधारण

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त

शुल्क व चन्दा

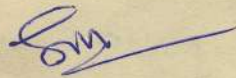
: उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

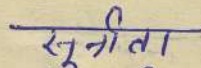
1-संरक्षक राशि.....वार्षिक/आजन्म

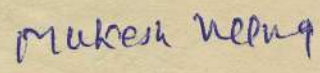
2-विशिष्ट राशि.....वार्षिक/आजन्म

3-सम्माननीय राशि.....वार्षिक

4-साधारण राशि.....वार्षिक


अनंद


सुनीता
मेहता


मुकेश
मेहता

उक्त राशि एक मुश्त अर्थवा है०.....
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।

7. सदस्यता से
निष्कासन

: संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा
सकेगा :—

- 1—मृत्यु होने पर
- 2—त्याग पत्र देने पर
- 3—संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4—प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर
लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध
समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय
अन्तिम होगा ।

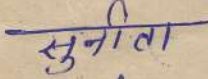
8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के
सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9. साधारण सभा के
अधिकार और
कर्तव्य

: साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य

- 1—प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना । अधिकार व कर्तव्य
- 2—वार्षिक बजट पारित करना ।
- 3—प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये व ।
पुष्टि करना ।


मकुश कुमार


सुनीता
भेत्री

Mukesh Kumar
कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

- 4—संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें

- : 1—साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2—साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3—बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4—कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
- 5—संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

Long
अध्यक्ष

सुनील
मंत्री

Mukesh Verma
अध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का : संस्था के काय को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध-
गठन कारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे—

1-अध्यक्ष-एक

2-उपाध्यक्ष-एक

3-मन्त्री-एक

3-कोषाध्यक्ष-एक

5-सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में.....7.....पदाधिकारी व

.....15.....सदस्य कुल.....22..... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का : 1-संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के
निर्वाचन लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2-चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3-चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य
अधिकार और होंगे—
कर्तव्य

1-सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2-वार्षिक बजट तैयार करना।

15

8/12/2018

सुनीता
मेन

Mukesh Verma
कोषाध्यक्ष

3-संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

4-वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना ।

5-साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6-कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

7-अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना ।

14. कार्यकारिणी की बैठकें

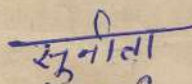
: 1-कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

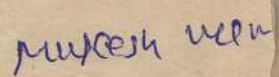
2-बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

3-बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती हैं ।

4-कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों


अनुराग


सुनीता
मंत्री


मुकुश मेन
कोषाध्यक्ष

के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के

अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :—

1-अध्यक्ष

- 1-बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3-बैठकें आहूत करना।
- 4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

- 1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

- 1-बैठकें आहूत करना।
- 2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

Smy
अध्यक्ष

17
सुनीता
मंत्री
मन्त्री

Mukesh Verma
सोसायल
सोसायल

3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।

4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।

5-संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

6-पत्र व्यवहार करना ।

7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

4-उपमन्त्री :

1-मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।

2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें ।

5-कोषाध्यक्ष :

1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना ।

2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना ।

3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1-चन्दा

Long
अध्यक्ष

18
सुनीता
मन्त्री

mukesh verma
कोषाध्यक्ष

2-शुल्क

3-अनुदान

4-सहायता

5-राजकीय अनुदान

1-उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2-अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

: संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे—

1-अध्यक्ष.....1,000.....रु०

2-मन्त्री.....500.....रु०

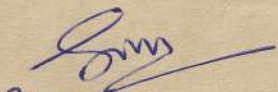
3-कोषाध्यक्ष.....500.....रु०

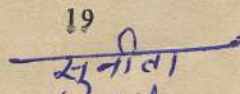
उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी की जायेगी।

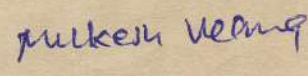
18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

19. संस्थान के विधान में परिवर्तन

: संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा क कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।


अध्यक्ष

19

सुनीता
मन्त्री


पुलकेश वर्मा
कोषाध्यक्ष

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था को समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. संस्था के लेखे जोखे

का निरीक्षण :

रजिस्ट्रार संस्थाएं.....जयपुर.....को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली).....मदर टेरेसा
बिहार.....संस्थान.....समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है

[Signature]
यक्ष

सुनीता
मन्त्री

mukesh verma
कोषाध्यक्ष